निर्वाचन आवश्यक

## आदेश

यतः उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचन योग्य दुग्ध सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप नई प्रबन्ध कमेटियों के पुर्नगठन हेतु उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है।

इस कार्यालय के आदेश पत्रांक 180/स0नि0प्रा0/दु0स0सं0/2014-15 दिनॉक 16.03.2015, सी-139 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/सहकारी संघो/कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी तथा सभापति, उप सभापति एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की निर्वाचन की तिथियां निर्धारित की गई थी। दुग्ध विकास विभाग द्वारा कतिपय कारणों से निर्धारित तिथियों में निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये जा सके है।

अतः उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (3-क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य की समस्त प्रकार की निर्वाचन योग्य दुग्ध सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु अधोलिखित निर्वाचन तिथियॉ एतदद्वारा निर्धारित की जाती हैं :-

| क0 सं0 | सहकारी समितियों का प्रकार | प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथि | सभापति, उपसभापति व अन्य संस्थाओ को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | समस्त प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितिया | 05.08.2015 | 06.08.2015 |
| 2 | समस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 | 30.08.2015 | 31.08.2015 |
| 3 | उत्तराखण्ड को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन | 27.09.2015 | 28.09.2015 |

यह भी निर्देशित किया जाता है कि, 31.03.2015 को अर्ह समस्त सहकारी समितियों के निर्वाचन, उपरोक्त तिथियों में अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा लिये जाये।

ह0
(महेश चन्द्र)
अध्यक्ष,

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण देहरादून।

पत्रांक सी-६५ /स0नि0प्रा0/निर्वा0-दु0सह0स0/2015-16 दिनॉक 12 जून 2015।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त सचिव, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितिया, द्वारा निदेशक/निबन्धक, डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
2- समस्त प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा निदेशक/निबन्धक, डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- निदेशक/निबन्धक, डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
7- सचिव, दुग्ध एवं डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8- सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अध्यक्ष,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
देहरादून।